

**कार्यालय नगर निगम, देहरादून।**  
**पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा प्रपत्र।**

1. निविदा दाता का नाम :—.....पत्र श्री .....
2. पता :—.....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम:—.....
4. जमात धनराशि :— रु0 ..... (शब्दों में) .....
5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0—.....
6. बैंक का नाम :—.....
7. पोल क्योस्क स्थल—नेहरु कालोनी —46 पोल
8. निविदा राशि अंकों में :— ..... (शब्दों में) .....

निविदादाता के हस्ताक्षर :—.....  
निविदादाता का नाम :—.....  
निविदादाता का पूरा पता:—.....

**निविदा की शर्तें एवं प्राविधान**

1. स्वीकृति का दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रु0—2,69,597/-—निर्धारित है।
3. विज्ञापन एजेन्सी/फर्म द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प ऐपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
4. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प ड्यूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. धरोहर/जमानत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर व अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017—18 के माह अप्रैल तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके साथ सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ ₹0—26,960/- धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
13. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट तक की ऊँचाई पर लगाये जायेंगे।
14. पोल क्योस्क पर 3.5 x 2.5 फिट के ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।
15. रोड डिवाईडरों पर लगे विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेंगे।
16. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
18. पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो ₹0—25000/- की दर से प्रति शौचालय अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. विद्युत पोल पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन के व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्योक्तरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय—समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
28. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उस भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी

सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन ₹0—25000/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

30. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक से अन्तिम संख्या तक भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।
31. उपरोक्त पोल क्योस्क विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ₹०पी०एफ०, सेवाकर, बीमा, तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिं, बिजली के खम्भों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—३९ वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा ₹०डी०आर०/एफ०डी०आर० जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।

**कार्यालय नगर निगम, देहरादून।**  
**पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा प्रपत्र।**

1. निविदा दाता का नाम :—.....पत्र श्री .....
2. पता :—.....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम:—.....
4. जमात धनराशि :— रु0 ..... (शब्दों में) .....
5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0—.....
6. बैंक का नाम :—.....
7. पोल क्योस्क स्थल—जी0एम0एस0 रोड —43 पोल
8. निविदा राशि अंकों में :— ..... (शब्दों में) .....

निविदादाता के हस्ताक्षर :—.....  
निविदादाता का नाम :—.....  
निविदादाता का पूरा पता:—.....

**निविदा की शर्तें एवं प्राविधान**

1. स्वीकृति का दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रु0—5,10,840/-निर्धारित है।
3. विज्ञापन एजेन्सी/फर्म द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प ऐपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
4. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प ड्यूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. धरोहर/जमानत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर व अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017—18 के माह अप्रैल तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके साथे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ ₹0—51084/- धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
13. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट तक की ऊँचाई पर लगाये जायेंगे।
14. पोल क्योस्क पर 3.5 x 2.5 फिट के ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।
15. रोड डिवाईडरों पर लगे विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेंगे।
16. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
18. पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो ₹0—25000/- की दर से प्रति शौचालय अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. विद्युत पोल पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन के व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्योक्तरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय—समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
28. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उस भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी

सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन ₹0—25000/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

30. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक से अन्तिम संख्या तक भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।
31. उपरोक्त पोल क्योस्क विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ₹0पी०एफ०, सेवाकर, बीमा, तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिं, बिजली के खम्भों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—३९ वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा ₹०डी०आर०/एफ०डी०आर० जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।

**कार्यालय नगर निगम, देहरादून।**  
पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम :—.....पुत्र श्री .....
2. पता :—.....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम:—.....
4. जमात धनराशि :— रु0 ..... (शब्दों में) .....
5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0—.....
6. बैंक का नाम :—.....
7. पोल क्योस्क स्थल—घन्टाघर अम्बेडकर पार्क से बल्लूपुर चौक तक—91 पोल
8. निविदा राशि अंकों में :—..... (शब्दों में) .....

निविदादाता के हस्ताक्षर :—.....  
निविदादाता का नाम :—.....  
निविदादाता का पूरा पता:—.....

**निविदा की शर्तें एवं प्राविधान**

1. स्वीकृति का दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रु0—867539 /—निर्धारित है।
3. विज्ञापन एजेन्सी/फर्म द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
4. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प ड्यूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. धरोहर/जमानत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर व अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017—18 के माह अप्रैल तक निगम

कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सभी सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ ₹0-86754/- धनराशि की ₹0.00आर0/एफ0.00आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
13. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट तक की ऊँचाई पर लगाये जायेंगे।
14. पोल क्योस्क पर 3.5 x 2.5 फिट के ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।
15. रोड डिवाईडरों पर लगे विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेंगे।
16. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
18. पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो ₹0-25000/- की दर से प्रति शौचालय अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. विद्युत पोल पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन के व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्योक्तरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी ₹0.00आर0/₹0.00आर0 जब्त कर ली जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. इस सम्बन्ध में मार्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या-एस०पी०ए० 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
28. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा

अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उस भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन ₹0—25000/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

30. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक से अन्तिम संख्या तक भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।
31. उपरोक्त पोल क्योस्क विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ₹0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा, तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वंय करनी होगी।
32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिं, बिजली के खम्भों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा ₹0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।

**कार्यालय नगर निगम, देहरादून।**

पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम :—.....पुत्र श्री .....
2. पता :—.....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम:—.....
4. जमात धनराशि :— रु0 ..... (शब्दों में) .....
5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0—.....
6. बैंक का नाम :—.....
7. पोल क्योस्क स्थल—तहसली से लाल पुल तक—125पोल
8. निविदा राशि अंकों में :— ..... (शब्दों में) .....

निविदादाता के हस्ताक्षर :—.....

निविदादाता का नाम :—.....

निविदादाता का पूरा पता:—.....

**निविदा की शर्तें एवं प्राविधान**

1. स्वीकृति का दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रु0—1232000 /—निर्धारित है।
3. विज्ञापन एजेन्सी / फर्म द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
4. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प ड्यूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. धरोहर / जमानत धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर व अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2017—18 के माह अप्रैल तक निगम कोष में जमा

करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ रु0—123200/- धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
13. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट तक की ऊँचाई पर लगाये जायेंगे।
14. पोल क्योस्क पर 3.5 x 2.5 फिट के ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।
15. रोड डिवाईडरों पर लगे विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेगे।
16. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
18. पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो रु0—25000/- की दर से प्रति शौचालय अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. विद्युत पोल पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन के व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय—समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
28. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उस भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके

- ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन रु0—25000/-का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
30. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक से अन्तिम संख्या तक भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।
31. उपरोक्त पोल क्योस्क विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ₹०पी०एफ०, सेवाकर, बीमा, तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वंय करनी होगी।
32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिं, बिजली के खम्भों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मार्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—३९ वर्ष २०१२ का अनुपालन करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा ₹०पी०आर०/एफ०पी०आर० जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि  
नगर निगम, देहरादून।